-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बदौसा क्षेत्र में महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को थाना बदौसा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**
- **मुख्य अभियुक्त आदेश एक सक्रिय गैंग का लीडर है जिस पर गैंगस्टर एक्ट समेत अपने सगे चाचा की हत्या के मामले दर्ज है।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी अतर्रा सुश्री प्रतिज्ञा सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.05.2025 को थाना बदौसा क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 01.05.2025 को नादँनमऊ के रहने वाले अजयपाल द्वारा सूचना दी गई कि 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिजली कर्मी बनकर मीटर चेक करने के बहाने घर मे घुसकर लूट की घटना का अंजाम दिया है। सूचना पर थाना बदौसा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। संयुक्त टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, यक्ष एप व मुखबिर की सूचना पाया गया कि 02 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से अतर्रा से कर्वी जनपद चित्रकूट जा रहे है। सूचना पर पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों को ग्राम तुर्रा के पास घेराबंदी कर रोका गया तो स्वयं को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त आदेश पुत्र राजकुमार के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त की हालत सामान्य है। व एक अन्य अभियुक्त को आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के जेवर सहित अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस, खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। बता दे कि आदेश पुत्र राजकुमार द्वारा विगत दिनों में अपने सगे चाचा की हत्या व गैंगस्टर एक्ट में जेल गया था। वर्तमान समय में जमानत पर बाहर था।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अं0सं0 75/26 धारा 309(4)/333 बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 80/26 धारा 109 बीएनएस व आर्म्स एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा।

बरामदगी-

- 01 मंगल सूत्र पीली धातु
- 02 अंगूठी पीली धातु
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर
- हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आदेश पुत्र राजकुमार निवासी पुनाहुर थाना बिसण्डा जनपद बांदा। (पुलिस मुठभेड मे घायल)
2. उमेश पुत्र सुभाष निवासी सत्यनियाव थाना बबेरु जनपद बांदा।

वांछित अभियुक्त-

1. राघव पुत्र बलराम निवासी तेंदुरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. अशोक पुत्र मुन्नी लाल निवासी नाँदनमऊ थाना बदौसा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष बदौसा श्री अजीत सिंह
2. प्रभारी एसओजी श्री आनंद कुमार
3. प्रभारी सर्विलांस श्री राजेश कुमार मौर्य
4. उ0नि0 श्री आशीष पटेरिया थाना बदौसा
5. उ0नि0 श्री दान बहादुर पाल थाना बदौसा
6. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह
7. हे0कां0 आशीष शर्मा
8. कां0 प्रतीक सिंह
9. कां0 मनीष मिश्रा
10. कां0 मिथिलेश
11. कां0 नंदलाल
12. कां उत्कर्ष
13. कां0 राहुल
14. कां0 ललित कुमार

आपराधिक इतिहास आदेश पुत्र राजकुमार -

1. मु0अं0सं0 75/26 धारा 309(4)/333 बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 80/26 धारा 109 बीएनएस व आर्म्स एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा।
3. मु0अं0सं0 397/24 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
4. मु0अं0सं0 404/24 धारा 319(2)/318(4)/338/336/340(2)/61(2) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
5. मु0अं0सं0 01/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास वांछित अभियुक्त राघव पुत्र बलराम –

1. मु0अं0सं0 97/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 122/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
3. मु0अं0सं0 234/23 धारा 3/25 आर्म्स व 307 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
4. मु0अं0सं0 439/23 धारा 3/4/5 विस्फोटक प्रदार्थ अधिनियम थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
5. मु0अं0सं0 246/24 धारा 333/351(2)/352 बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट व 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
6. मु0अं0सं0 17/25 धारा 109(1)/351(2)/333/352 बीएनएस व 3/9/25 आर्म्स एक्ट व 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।